सर्वोच्च प्राथमिकता/परम गोपनीय
संख्या जी0आई0-122 आर/छः-पु-5-519/98

प्रेषक,

ए0के0 श्रीवास्तव,
सचिव गृह,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उ0प्र0
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 10 जून, 1999

विषयः विस्फोटक पदार्थ अधिनियम/नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन कराने हेतु संबंधित दुकानों /लाइसेंसधारकों का निरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या जी आई-69 आर/छः पु0-5-519/98, दिनांक 21 नवम्बर, 1998 के अनुक्रम में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के गोपनीय पत्र संख्याः5-15014/2/98-आर्म्स, दिनांक 3 जून, 1999 की प्रति संलग्न करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विस्फोटकों का व्यवसाय एक अत्यन्त संवेदनशील विषय है जिसके संबंध में जनपद में स्थित विस्फोटकों की दुकानों /लाइसेन्सधारकों का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष में एक बार अवश्य सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उक्त नियमित निरीक्षण का प्रमुख उद्देश्य जिला मजिस्ट्रेट /लाइसेंसिंग प्राधिकारी का इस तथ्य से आश्वस्त होना है कि विस्फोटकों के व्यवसायियों /लाइसेंसधारकों द्वारा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं नियमावली के अनुरूप ही व्यवसाय सम्पन्न किया जा रहा है और उक्त व्यवसाय का संचालन वास्तविक लाइसेंसी/पार्टनर द्वारा ही किया जा रहा है।

2- उक्त के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जनपद में कार्यरत/संचालित विस्फोटकों के समस्त लासेंसधारकों/ दुकानों का निरीक्षण विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 15 एवं 16 जून 1999 को कराना सुनिश्चित करेगें। यथासम्भव निरीक्षण की योजना इसप्रकार बनाई जाय कि जनपद की समस्त विस्फोटकों की दुकानों का निरीक्षण कार्यकारी मजिस्ट्रेटों द्वारा एक ही दिन में सम्पन्न हो सके। इसके अतिरिक्त जिन जनपदों मे विस्फोटक पदार्थों के लाइसेंसधारक बड़ी संख्या में हैं उन जनपदों में यह कार्यवाही दिनांक 15 व 16 जून,1999 के बाद दिनांक 18-6-99 तक भी सम्पन्न करायी जा सकती है। निरीक्षण में कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के साथ ही पुलिस अधिकारियों का सहयोग भी आवश्यकतानुसार लिया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त अधिनियम / नियमावली के अंर्तगत पुलिस थानों, जिला मालखानों एवं

लाइसेन्सधारकों के पास जमा विस्फोटक पदार्थों का सत्यापन एवं निरीक्षण भी कराया जायेगा।

3- इस संबंध में यह विशेषरूप से उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत निरीक्षणोंके समय यह अवश्य ध्यान रखी जाय कि उसमें आपत्तियां मात्र तकनीकी आधार पर न दर्ज की जायें अपितु गम्भीरता से सावधानीपूर्वक यह देखा जाये कि क्या किसी पुराने अथवा नये व्यवसायी/लाइसेंसधारक द्वारा अधिनियम एवं नियमावली के किसी प्राविधान का उल्लघंन तो नहीं किया गया है।

4- तद्नुसार निरीक्षणोंपरान्त समस्त निरीक्षणकर्ता संलग्न प्रपत्र पर अपनी आख्या जिला मजिस्ट्रेट को उसी दिन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित जॉच आख्यायें विशेष पत्र वाहक के माध्यम से दिनांक 20 जून, 1990 तक शासन को उपलब्ध करा दी जाये। समस्त निरीक्षण कार्य को शान्तिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न कराया जाये और किसी भी स्थिति में इसे व्यवसायियों के उत्पीड़न का माध्यम न बनने दिया जाय।

5- जिला मजिस्ट्रेट उक्त निरीक्षण आख्याओं के साथ यह भी अवश्य सूचित करेंगें कि उनके जनपद में विस्फोटक पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय आदि के कितने लाइसेंस किन-किन व्यक्तियों को स्वीकृत है।

संलग्नक:यथोपरि

भवदीय,

ए.के. श्रीवास्तव

(ए0के0 श्रीवास्तव)
सचिव,गृह।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त आदेशों की प्रतियां विशेष पत्रवाहकों के माध्यम से संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को तत्काल प्रेषित कराने एवं निर्धारित निरीक्षण अपने मार्गदर्शन में सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

ए.के. श्रीवास्तव

(ए0के0 श्रीवास्तव)
सचिव,गृह।

विस्फोटक पदार्थों के लाइसेन्सधारकों के संबंध में निरीक्षण आख्या

जनपद.....निरीक्षण की तिथि.....

1- लाइसेन्सधारक एवं दुकान का नाम

2- निर्माण स्थल एवं दुकान का पता (फोन नं0 सहित)

3- लाइसेन्स धारक का आवासीय पता फोन नं0 सहित)

4- लाइसेन्स पर दर्ज पार्टनरों के नाम व पते

5- निर्माण स्थल/दुकान पर कार्यरत पाये गये लाइसेंसी/पार्टनरों के नाम

6- यदि लाइसेंसी/पार्टनर के अलावा कोई अन्य व्यक्ति व्यवसाय में कार्यरत पाया गया हो तो उसका विवरण

7- विस्फोटक पदार्थों का निर्माण /विक्रय क्या लाइसेंस में स्वीकृत स्थल /चौहद्दी में हो रहा है

8- क्या व्यवसायिक स्थल चोरी, आगजनी एवं विद्युत दुर्घटना की दृष्टि से सुरक्षित है

9- लाइसेंस की स्वीकृति दिनांक एवं संख्या

10- लाइसेन्सी को विस्फोटक सामग्री के लिये स्वीकृत कोटा व कोटे के सापेक्ष निर्माण का विवरण

11- लाइसेंसी द्वारा निर्गत स्टाक का विवरण

12- लाइसेन्सी के पास अवशेष जॉच का विवरण

13- लाइसेंस धारक के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही पूर्व से लम्बित /विचाराधीन है, यदि हॉ तो विवरण

14- क्या स्टाक एंव विक्रय रजिस्टर अदयावधिक है और उनके प्रथम व अंतिम पृष्ठ सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हैं

15- क्या स्टाक /विक्रय रजिस्टर एवं निरीक्षण में पाये गये स्टाक आदि में कोई भिन्नता तो नहीं है अथवा अन्य कोई अनियमितता तो नहीं पाई गई है, यदि हॉ तो उसका विवरण

16- अन्य कोई विशेष उल्लेखनीय तथ्य या आपत्ति जो निरीक्षण के दौरान प्रकाश में आई हो

निरीक्षण कर्ता अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं मोहर